Atrocities an Political Workers in **Bolangir and Kalahandi in Orissa**

श्वी बिष्ण काला शास्त्री (उत्तर प्रदेश): मानसीय उपसंभाध्यक्ष महोदय, में प्राथके माध्यम से एक अत्यंत गंभीर विथय की ग्रीर भारत सरकार के गृह मंत्रालम का भ्यान त्राकृष्ट करना चाहता हुं ।

उडीसा के बालनगीर और कालाहांडी जिलों में राजनीतिक अत्याचार का एक धद्भुत और लज्जास्थद उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। चुंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सुयग बढ़ रहा है ग्रौर पिछले सोक सभा के चुनाव में **बालनगीर के विशेषकर पटना गढ़** के क्षेत्र में वहां के जो जनता दल के उम्मीदवार थे, उनसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वहां ज्यादा वोट मिला था । ग्रतः इससे क्षब्ध हो कर पटनागढ़ झौर बालतगीर के अभी जो वर्तमान विधायक हैं और जो वर्तमान विधि मंत्री हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी क कार्यकर्ताओं पर इस पंचायत के चुनावों में बहुत ही अत्याचार किया और हमारे एक सरपंच के उम्मीदवार डोलामणि सह को ग्रपहत कर लिया । उन को खोजने के लिए जब हमारे कार्यकर्ता गए तो 28-5-92 की रात को हमारे प्रमुख कार्यकर्ता प्रदीभ सिंह की हत्या कर दी। उस हत्या के प्रतिवाद में अब वहां हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की गई, वहां पर एफ.ब्राइ.ब्रार. दर्ज किया गया तो जो जो उस हत्याकांड के जो प्रमख अपराधी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया । उन्होंने एँटोसिपेटरी बेल ले ली । उस ऐंटीसिपेटरी बेल को जब हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तब भी उनको गिरफ्तार नहीं नहीं किया गया । उन के स्थान गर के०वी० सिंहदेव जो हमारे बहां के मेन्नटरी हैं, जो कि उडीसा के जो भतपूर्व मुख्य मदी थे गार.ए. सिंहदेव उनके पौल हैं, उनको एक मिथ्या ग्रारोप में गिरफ्तार करके 13 दिन तक हवालात में रखा गया । जिस समय वह कथित अपराध हुआ थ। उस समय वह दिल्ली में थें हमारे दूसरे ग्रविकारी श्री धनस्याम मग्रवाल को जो कि धरमगढ के सरपंच थे उनको मंगा

[18 AUG. 1992] pniation (No. 2) Bill, 502 1992-Returned

करके वहां घनाया गया। सब झखबारों में बहु हैं। हम लोगों ने इसका प्रतिवाद किया । तो यह बार बार माश्वासन दिया गया कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा लेकिन जो मुख्य अपराधी हैं अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए । इस भर हमारे तीन सांसदों का दल आंच करने के लिए गया जिसमें मैं था, दिलीप सिंह जु देव चे और करिया मुंडा थे। मुझे इस बात को बताते हुए बहुत कब्ट होता है कि पूर्व सूचना के बावजूद बालनगीर के संपरिटेंडेंट पुलिस ने हम लोगों से मिलने से इंकार कर दिया। यह इस बात का निश्चित प्रमाण है कि वहां की पुलिस उपर के दबाव के कारण हमारे राजनैतिक कार्यकर्ताओं के उपर अत्याचार कर रही है ग्रोर मुझे ऐसा लगता है कि यह राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। राजनीति के अपराधीकरण के द्वारा लोकतंव की बडें खुद जाएंगी । मैं यह जानता हुं कि वहाँ जो अभी सरकार है उसको जायद इससे कुछ लाभ पहुंचा सकता है फ्रौर शायद वह अपने अधिकार मद में कह सकते हैं कि "हर चीज साफ है। ग्रापने हैं झाप तो सौ खुन माफ हैं'' । लेकिन यह सौ खून माफ करके उडीसा की वर्तमान सरकार लोकतुत्र के प्रति. राजनीतिक विद्यान के प्रति जो गंभीर श्रम्पाय कर रही है मैं उसका प्रतिवाद करता हूं ।

में आपके माध्यम से माननीय गह मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हं कि वे इसकी जोच कराएं और जिन एस.पी. महोदय ने माननीय सांसदों से मिलना इंकार कर दिया उनसे स्पष्टी-करण मांगा जाए और हाई कोर्ट द्वारा ऐंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर देने के बाद जो इस केस में प्रमुख ग्रपराधी के रुप में संदिग्ध हैं उन को ग्रामी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया इसकी जांच की जाए ।

मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हॅं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को बढाने की अनुमति दी ।